संख्या-34/2024/5071/005-9-7099-172-2022

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7 **लखनऊ : दिनांक 7 दिसम्बर, 2024**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2024-25 में " कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना" के अन्तर्गत विभिन्न नगर निकायों को पशु शेल्टर होम्स/गौशाला/कांजी हाउस में रखे गये निराश्रित गोवंशों के चारे-भूसे की व्यवस्था हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि "कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना" के अन्तर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों में कान्हा गौशाला/पशु शेल्टर होम्स की स्थापना की गयी हैं। शासन द्वारा कांजी हाउस/ कान्हा गौशाला/ पशु शेल्टर होम्स में रखे गये निराश्रित गोवंशों के चारे-भूसे आदि की व्यवस्था किये जाने हेतु समय-समय पर निकायों को अनुदान दिया जाता है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में "कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजनान्तर्गत" उपलब्ध धनराशि में से निम्नलिखित 45 नगर निकायों में संचालित कांजी हाउस/ कान्हा गौशाला/ पशु शेल्टर होम्स मे रखे गये निराश्रित गोवंशों के चारे-भूसे की व्यवस्था किये जाने हेतु उनके सम्मुख अंकित धनराशि के अनुसार **कुल ₹ 701.75 लाख (₹ सात करोड़ एक लाख पचहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र0सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2024-25 में द्वितीय छः माह (अक्टूबर, 2024 से मार्च, 2025 तक) हेतु ₹ 50 प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से अवमुक्त की जा रही धनराशि (₹ लाख में)
1	2	3	4
1	कौशाम्बी	नगर पालिका परिषद, भरवारी	36.40
2	मथुरा	नगर पंचायत, सौंख	7.46
3	कन्नौज	नगर पंचायत, तिर्वागंज	30.39
4	मथुरा	नगर पंचायत, छाता	12.19

5	फिरोजाबाद	नगर पंचायत, एका	7.64
6	बुलन्दशहर	नगर पालिका परिषद, जहाँगीराबाद	27.57
7	लखीमपुर-खीरी	नगर पालिका परिषद, लखीमपुर	31.03
8	उन्नाव	नगर पंचायत, मोहान	2.73
9	चित्रकूट	नगर पंचायत, मऊ	30.30
10	मुरादाबाद	नगर पंचायत, अगवानपुर	16.56
11	अलीगढ	नगर पंचायत, जलाली	9.55
12	आगरा	नगर पालिका परिषद, शमशाबाद	5.36
13	प्रयागराज	नगर पंचायत, लालगोपालगंज	5.82
14	गौतमबुद्धनगर	नगर पंचायत, जहाँगीरपुर	11.37
15	कौशाम्बी	नगर पालिका परिषद, मंझनपुर	26.66
16	कौशाम्बी	नगर पंचायत, सराय अकिल	4.73
17	कौशाम्बी	नगर पंचायत, चायल	27.30
18	आगरा	नगर पंचायत, फतेहाबाद	4.91
19	सम्भल	नगर पंचायत, गवाँ	1.36
20	कुशीनगर	नगर पंचायत, कप्तानगंज	3.64
21	मुजफ्फरनगर	नगर पंचायत, सिसौली	11.83
22	गोरखपुर	नगर पंचायत, बड़हलगंज	6.55
23	उन्नाव	नगर पालिका परिषद, गंगाघाट	27.30
24	फर्रूखाबाद	नगर पंचायत, कमालगंज	27.02
25	इटावा	नगर पंचायत, बकेवर	5.55
26	झाँसी	नगर पालिका परिषद, मऊरानीपुर	52.05
27	गोण्डा	नगर पंचायत, कटरा	8.91
28	कुशीनगर	नगर पंचायत, खड्डा	2.91
29	बुलन्दशहर	नगर पालिका परिषद, सिकन्द्राबाद	25.93
30	बलरामपुर	नगर पालिका परिषद, उतरौला	4.45
31	मेरठ	नगर पंचायत, करनावल	16.28
32	संतकबीरनगर	नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद	5.46

33	सिद्धार्थनगर	नगर पंचायत, उसका बाजार	31.85
34	गाजियाबाद	नगर पालिका परिषद, मोदीनगर	30.94
35	हरदोई	नगर पंचायत, कुरसठ	5.18
36	ललितपुर	नगर पंचायत, तालबेहट	27.30
37	कुशीनगर	नगर पंचायत, रामकोला	3.73
38	उन्नाव	नगर पंचायत, न्योतनी	3.00
39	उन्नाव	नगर पंचायत, कुरसठ	2.00
40	उन्नाव	नगर पंचायत, पुरवा	25.84
41	उन्नाव	नगर पंचायत, मौरावां	1.82
42	उन्नाव	नगर पंचायत, बीघापुर	19.11
43	मुजफ्फरनगर	नगर पंचायत, चरथावल	10.01
44	शामली	नगर पालिका परिषद, शामली	18.74
45	मुजफ्फरनगर	नगर पंचायत, बुढाना	25.02
		कुल योग	701.75

(₹ सात करोड़ एक लाख पचहत्तर हजार मात्र)

शर्ते / प्रतिबन्ध :-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों , समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत स्वीकृत जिस कार्य/मद के लिए है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(3) उक्त शासनादेश में स्वीकृत कार्य के लिए राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से पूर्व में कोई धनराशि स्वीकृत की गयी है अथवा स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो सम्बन्धित नागर निकाय के अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/निदेशक, नगरीय निकाय को तत्काल अवगत करायें।

(4) सम्बन्धित नागर निकाय का यह दायित्व होगा कि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(5) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों को क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।

(6) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निकाय के वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी , जैसी भी स्थिति हो , सुनिश्चित करेंगे।

(7) इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/महालेखाकार को दिनांक 31.03.2025 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय करने के लिये पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, नगरीय निकाय , सम्बन्धित नगर आयुक्त एवं सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी का होगा।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की जा रही धनराशि का प्रत्येक 15 दिन पर निदेशक , नगरीय निकाय एवं सम्बन्धित नगर आयुक्त के द्वारा प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) निदेशक , नगरीय निकाय द्वारा कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत पशुओं के भूसे-चारे आदि की व्यवस्था के लिये अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि को निकायों के द्वारा योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में 07 दिनों के अन्दर नियमानुसार ई-पेमेन्ट के माध्यम से अन्तरित करायी जायेगी।

(12) निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम छमाही हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही अवमुक्त की गयी धनराशि का उपभोग किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,01,75,000 **(₹ सात करोड़ एक लाख पचहत्तर हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2070008000700 कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
Signed by
Kalyan Banerjee
Date: 07-10-2024 15:07:45
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या-34/2024/5071(I)/005-9-7099-172-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेख एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3. संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
6. संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
7. संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, प्रयागराज
9. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

Signed by
Kalyan Banerjee
Date: 07-12-2024 15:08:36

(कल्याण बनर्जी)

संयुक्त सचिव।